प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
प्रतापगढ़ ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
बी० बी० एस० पब्लिक प्राथमिक विद्यालय, बरना
ग्राम – विहार, प्रतापगढ़ ।

पत्रांक : शिविर/मान्यता 10792-96/2005-06 दिनांक : 24-12-05

विषय : **शिक्षा सत्र 2005-06 में प्राथमिक स्तर के नवीन अस्थाई मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजाज्ञा सं0 984/16-6-90-18 एस0(7)/89 दिनांक 28 अप्रैल 1990 एवं राजाज्ञा संख्या- 230/15-5-96-18एस0 (7) 18.01.96 तथा राजाज्ञा संख्या-1073/17-5-98 एस0(7) 89 दिनांक 13 जुलाई 1998 में निहित निर्देशानुसार जिला स्तर पर गठित मान्यता समिति की बैठक दिनांक 3-12-05 द्वारा लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर (कक्षा – 1 से कक्षा-5 तक) कक्षाओं के संचालनार्थ सशर्त/प्रतिबन्धित नवीन अस्थाई मान्यता आदेश निर्गत तिथि से इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उपर्यक्त उल्लिखित राजाज्ञानुसार मान्यता शर्तें पूर्ण रखें ।

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लिखित गलत तथ्य प्रकाशित होने पर अथवा विभागीय अधिकारियों द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किये जाने पर उपर्युक्त उल्लिखित राजाज्ञानुसार शर्तें पूर्ण न होने की दशा में प्रदत्त अस्थाई मान्यता वापस लेने का अधिकार विभाग को सुरक्षित रहेगा । अतः नियमानुसार शर्तों को पूर्ण करके विद्यालय की स्थायी मान्यता प्राप्त की जाय । अन्यथा उपर्युक्त उल्लिखित राजाज्ञानुसार विद्यालय की अस्थाई मान्यता का नवीनीकरण करना सम्भव न होगा और विद्यालय की मान्यता निरस्त समझी जायेगी । स्थाई मान्यता की शर्तें निम्नवत हैं :-

1. विद्यालय की निजी भूमि/भवन तथा छात्र संख्या के अनुपात में कमरे निर्मित हों, शिक्षण कक्ष के साथ अध्यापक कक्ष, स्टाफरूम हो ।
2. संस्था पंजीकृत एवं अद्यावधि नवीनीकृत हो ।
3. सुरक्षित कोष/प्राभूत कोष जमा हो और नियमानुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से बन्धक हो ।
4. विद्यालय में सभी अध्यापक प्रशिक्षित एवं अर्ह हों तथा कार्यरत शिक्षकों को निर्धारित वेतनमान का भुगतान दिया जा रहा हो ।
5. विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्य पुस्तकें संचालित किये जायें । अमान्य पाठ्य पुस्तकों का संचालन कदापि न किया जाय ।

......2

Principal
B.B.S. Public Inter College
Barna - Kunda - Pratapgar
College Code 1190

Manager
B.B S. Public Inter College
Barna-Pratapgarh

6. छात्र/छात्राओं से विभागीय निर्देशानुसार ही शुल्क लिया जाता हो ।
7. विद्यालय में अनाधिकृत कक्षाओं का संचालन न होता रहा हो ।
8. छात्र/छात्राओं के अनुपात में उनके बैठने हेतु साज–सज्जा की समुचित व्यवस्था हो । प्राथमिक स्तर की कम से कम 1000/– मूल्य की शिक्षण सामाग्री तथा पुस्तकें उपलब्ध हों ।
9. क्रीडा स्थल हेतु कम से कम 2000 वर्ग मीटर स्थल की व्यवस्था हो तथा समुचित रूप से क्रीडा सामग्री उपलब्ध हो ।
10. समय – समय पर विभागीय आदेशों का पालन किया जाता रहा हो ।

नोट :–

अप्रशिक्षित अध्यापकों के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था, शिक्षा सत्र 2005–06 प्रारम्भ होने से पूर्व कर ली जाय और इसकी सूचना क्षेत्रीय निरीक्षक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । अन्यथा इसके लिए आप पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे । क्योंकि विभाग द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापक कदापित मान्य नहीं है ।

भवदीस

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
प्रतापगढ़

पत्रांक : शिविर/मान्यता /2005–06 दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्नलिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रथम/द्वितीय प्रतापगढ़ ।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. सम्बन्धित क्षेत्र के स0बे0शि0अ0/प्रति उ0वि0नि0 की प्रति ।
4. नगर शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
5. कार्यालय सुरक्षा पत्रावली हेतु ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
प्रतापगढ़

Principal
B.B.S. Public Inter College
Barna - Kunda - Pratapgar
College Code 1190

Manager
B.B.S. Public Inter College
Barna-Pratapgarh

प्रेषक,

पं० ग्रीवेन्ट

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
प्रतापगढ़ ।

सेवा में,

1. नरसिंह बहादुर सिंह, शान्ती देवी बालिका जूनियर हाई स्कूल, छीटपुर वि0क्षे0 बेलखरनाथ धाम, प्रतापगढ़ ।
2. राठौर जू0हा0स्कूल, भरोखन वि0क्षे0– आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ ।
3. किसान लघु माध्यमिक विद्यालय, बेला, वि0क्षे0–पट्टी, प्रतापगढ़ ।
4. राजू लघु माध्यमिक विद्यालय रामपुर बेला, विकास क्षेत्र – पट्टी, प्रतापगढ़ ।
5. रानी आशा कुँवरि बालिका जूनियर हाईस्कूल, प्रतापगढ़ सिटी, वि0क्षे0– सदर,प्रतापगढ़ ।
6. बी0बी0एस0 पब्लिक जूनियर हाईस्कूल वरना, लालगोपालगंज, कुण्डा, प्रतापगढ़ ।
7. डा0 भीमराव अम्बेडकर लघु माध्यमिक विद्यालय, लाखीपुर कप्सा विकास क्षेत्र – आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ ।
8. राम स्वरूप अधीन गुप्ता उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजनगर (खाना पट्टी) वि0क्षे0– लालगंज, प्रतापगढ़ ।

महोदय, पत्रांक: बेसिक/13830-42/05-06 दि0 10-1-06

उपर्युक्त विषयक शासनादेश 646/15–6–18 (7)) /89 दिनांक 13.08.97 के अन्तर्गत जू0हा0 स्कूलों के नियमों, शर्तों एवं प्रक्रिया में परिवर्तन के अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 26.12.2005 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा – 6 से 8 तक की अस्थाई मान्यता इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है । आप द्वारा उपलब्ध पत्रजातों में किसी भी तथ्य को छिपाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति को इस निर्णय पर पुनः विचार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

1. विद्यालय में एक विज्ञान और भाषा का अध्यापक अनिवार्य रूप से होंगे ।
2. विद्यालय के शिक्षक / शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का पद आरक्षण नियमों के आलोक में भरा जाय ।
3. शासकीय / विभागीय आदेशों का पालन किया जाय ।
4. विज्ञान मद में प्रत्येक छमाही 250/– जमा किया जाय ।
5. शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालय की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से स्थानीय डाकघर/ बैंकों में जमा किया जायेगा । विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग कदापि न किया जाय ।
6. विद्यालय परिषद् विहित पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जाय और न ही पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग कदापि न किया जाय ।
7. मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने प्रत्येक अध्यापक व कर्मचारियों को ही वेतनमान, मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेंदार होगा जो परिषद् के समान अर्हता वाले अध्यापकों व कर्मचारियों को दिया जाता है ।
8. समक्ष अधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था अथवा कोई कक्षा, उपवर्ग न बन्द किया

क्रमशः पृष्ठ –2 पर

Principal
B.B.S. Public Inter College
Barna - Kunda - Pratapgar
College Code 1190

Manager
B.B.S. Public Inter College
Barna-Pratapgarh

जायेगा और न रोका जायेगा, न खोला जायेगा और न स्थानान्तरित किया जायेगा ।

9. विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि ''हिन्दी'' होगी ।
10. विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है तथा वह विभाग के नियमों औरसमय – समय पर दिये गये निर्देशों / आदेशों का पालन करेगा ।
11. विद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित ही रहें, किसी भी दशा में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति न की जाय ।
12. यथा समय प्रबन्ध समिति का नवीनीकरण कराया जायेगा और इसकी सूचना विभाग को भी दी जाय ।
13. विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक, चार सहायक अध्यापक होंगे जिसमें एक त्रिभाषाध्यापक तथा एक विज्ञान अध्यापक होंगे । इसके अतिरिक्त एक लिपिक तथा एक अनुचर के पद मान्य किये जाते हैं । इस प्रकार विद्यालय की कुल जनशक्ति सात की होगी ।
14. शासकीय / विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में अथवा किसी भी प्रकार का गलत तथ्य / अभिलेख प्रस्तुत किये जाने पर अथवा गलत पाये जाने पर इस निर्णय पर पुनः विचार का अधिकार विभाग को सुरक्षित रहेगा तथा प्रदत्त मान्यता के प्रत्याहरण के लिए बेसिक शिक्षा, अधिनियम की धारा– 12 के अनुसार कार्यवाही वांछित होगी ।
15. अनिवार्य रूप से विद्यालय में पेयजल/ मूत्रालय शौचालय की व्यवस्था हो ।
16. विज्ञान तथा आवश्यक पुस्तकें कम से कम 500/– मूल्य की उपलब्ध होना आवश्यक है ।
17. सुरक्षित कोष क्रमशः 2000/– तथा प्राभूत कोष 10,000.00 को होना आवश्यक है जो जि0बे0शि0अ0 के पद के नाम से बन्धक हो ।
18. विद्यालय में क्रीड़ा स्थल व सामग्री नियमानुसार उपलब्ध होना आवश्यक है ।
19. विद्यालय की छात्र सं0 कक्षा के नाप के अनुसार निर्धारित की जाय ।

डॉ0(बृजेश मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
प्रतापगढ़ ।

पृ0सं0: शिविर/ मान्यता/ 2005–06 तद् दिनांक

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रथम/ द्वितीय, प्रतापगढ़ ।
2. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, प्रतापगढ़ ।
3. सम्बन्धित क्षेत्र के स0बे0शि0अ0/प्रति उ0वि0नि0, प्रतापगढ़ ।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक) चतुथ्र मण्डल, इलाहाबाद ।
6. कार्यालय सुरक्षा पत्रावली हेतु ।

डॉ0(बृजेश मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
प्रतापगढ़ ।

Principal
B.B.S. Public Inter College
Barna - Kunda - Pratapgar
College Code 1150

Manager
B.B.S. Public Inter College
Barna-Pratapgarh